फर्द अहकाम

उप अदालत — उप जिला कलेक्टर — मुकाम — गंगापुर सिटी

मन्टूरा — बनाम — गुलाब वगैरा

किस्म मुकदमा — दावा — नं० 6 — सन् 2015

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनोशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	12.02.2015 यह दावा वादी मन्टूरा पुत्र गज्जू जाति माली निवासी नौगांव तहसील गंगापुर सिटी की ओर से श्री तरूण शर्मा, एडवोकेट ने हमारे समक्ष पेश किया। वादी के वकील को सुना गया। प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलवी जरिए नोटिस की जावे। पत्रावली दिनांक 26.3.2015 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
	26-3-15 वकील वादी उपस्थित है। प्रतिवादी नं० 1 लगायत 12 की ओर से श्री लालाराम सैनी Adv. ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी नं० 13 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं है। अतः इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की जाती है। वास्ते जबाव दावा पत्रावली दि० 30-4-2015 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
	30-4-15 वकील उभयपक्ष उपस्थित हैं। वकील प्रतिवादीगण जबाव को समय चाहते हैं। अतः वास्ते जबाव पत्रावली दि० 28-5-15 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
	28-5-15 पत्रावली आज लोक अदालत में कैम्प नौगांव पर पेश हुई। वादी मन्टूरा, प्रतिवादी भरतलाल, रामसिंह, श्यामलाल, छोटेलाल उपस्थित हैं। पक्षकारो ने राजीनामा इस आशय का पेश किया है कि वादी स्वयं को गोदपुत्र घोषित करवाने हेतु सक्षम न्यायालय में मुकदमा पेश करेगा इसलिए वादी को दावा वापस लेने की अनुमति दी जावे। प्रतिवादी नं० 13 की ओर से नायब	मन्टूरया भरतलाल रामसिंह श्यामलाल छोटेलाल

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनोशियल जज	नम्बर व त... अहकाम जो... हुक्म की ता... में जारी हु...
	पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी ने स्वयं को गोदपुत्र घोषित कराने के लिए सक्षम न्यायालय में दावा पेश करने हेतु यह मुकदमा वापस लेने की अनुमति चाही है। यह अनुमति दिए जाने में कोई कानूनी बाधा नहीं है। अतः प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार वादी की ओर से प्रस्तुत यह दावा वापस दिए जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (सतीश कुमार शर्मा) सदस्य लोक अदालत गंगापुर सिटी कैम्प नौगांव (मुनिदेव यादव) अध्यक्ष लोक अदालत गंगापुर सिटी एवं उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी कैम्प नौगांव	

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) कैम्प नौगांव

पीठासीन अधिकारी–: मुनिदेव यादव, आर.ए.एस.

उनवान

उनवान पृष्ठ भाग पर अंकित है

दावा घोषणां खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. – 6/2015

वादी की ओर से वादी मन्टूरा की व प्रतिवादी की ओर से प्रतिवादी भरतलाल, रामसिंह, श्यामलाल, छोटेलाल की उपस्थिति में इस वाद मे आज तारीख 26.5.2015 को मुनिदेव यादव (पीठासीन अधिकारी) के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है कि और डिक्री दी जाती है कि

वादी एवं प्रतिवादी नं0 6, 7, 8, 9 के मध्य हुए राजीनामे के अनुसार वादी स्वयं को गोदपुत्र घोषित कराने हेतु सक्षम न्यायालय में दावा पेश करेगा एवं राजीनामे के अनुसार वादी को यह दावा वापिस लेने की अनुमति दी जाती है। राजीनामा निर्णय का हिस्सा रहेगा ।

खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 26.5.2015 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

मुनिदेव यादव
उपखंड अधिकारी
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1 वादपत्र के लिए स्टाम्प 2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3 प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4 ....रूपये पर प्लीडर की फीस 5 साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय 6 कमिश्नर की फीस 7 आदेशिका की तामील		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड		जोड	

कृ०प०उ०

उनवान

मन्टूरा माली पुत्र गज्जू माली जाति माली निवासी नौगांव तहसील गंगापुर सिटी

बनाम

1. गुलाब पुत्र जयनारायण जाति माली निवासी नौगांव तहसील गंगापुर सिटी
2. धांधू पुत्र रामपाल जाति माली निवासी नौगांव तहसील गंगापुर सिटी
3. रामेश्वर पुत्र परसादी जाति माली निवासी नौगांव तहसील गंगापुर सिटी
4. बत्तू पुत्र परसादी जाति माली निवासी नौगांव तहसील गंगापुर सिटी
5. मट्टू पुत्र रामपाल जाति माली निवासी नौगांव तहसील गंगापुर सिटी
6. भरतलाल पुत्र जसराम जाति माली निवासी नौगांव तहसील गंगापुर सिटी
7. रामसिंह पुत्र जसराम जाति माली निवासी नौगांव तहसील गंगापुर सिटी
8. श्यामलाल पुत्र जसराम जाति माली निवासी नौगांव तहसील गंगापुर सिटी
9. छोटेलाल पुत्र जसराम जाति माली निवासी नौगांव तहसील गंगापुर सिटी
10. मूडी पुत्री जसराम जाति माली निवासी नौगांव तहसील गंगापुर सिटी
11. लक्ष्मा पुत्री जसराम जाति माली निवासी नौगांव तहसील गंगापुर सिटी
12. शान्ती पुत्री जसराम जाति माली निवासी नौगांव तहसील गंगापुर सिटी
13. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी

---प्रा

दावा घोषणा खातेदारी, दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

प्रपत्र-4

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, गंगापुर सिटी
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट)
कैम्प कोर्ट का स्थान :- नौगांव

राजीनामा प्रपत्र

दिनांक 26/5/15

श्रीमान् पीठासीन अधिकारी महोदय,
गंगापुर सिटी

मन्टूरा बनाम गुलाब वगैरा

प्रकरण संख्या :- 6/15 अन्तर्गत धारा 88, 188 R.T. Act

उपर्युक्त प्रकरण में प्रार्थी / वादी श्री मन्टूरा पुत्र गाजू ... आपके न्यायालय में लम्बित है। उक्त प्रकरण में हम पक्षकारों के बीच सुलह हो ... है, कि उक्त उनवान का प्रकरण आपके न्यायालय में लम्बित है ... है एवं अब हमारे बीच कोई विवाद नहीं रहा है। हम पक्षकारों के बीच सम्बन्ध अच्छे हो चुके हैं।

... आपसी राजीनामा निम्नानुसार तय हुआ है :-

[illegible]

... श्रीमान से निवेदन है, कि हमारा राजीनामा तस्दीक कर मुकदमें का निस्तारण करने की कृपा करें।

प्रार्थी पक्ष: मन्टूरा
1. मन्टूरा पुत्र गाजू माली
निवासी नौगांव

प्रतिवादी पक्ष 1. भरतलाल
2. रामसिंह
3. श्यामलाल
4. छोटेलाल

पहचानकर्ता के हस्ताक्षर (प्रार्थी पक्ष) ...
पहचानकर्ता के हस्ताक्षर (प्रतिवादी पक्ष) नाम ...

प्रार्थी / वादी मन्टूरा एवं अप्रार्थी / प्रतिवादी गुलाब, भरतलाल ... द्वारा सम्मिलित रूप से राजीनामा पेश किया गया है। राजीनामें की इबारत को सुन व समझ कर सही होना ... किया गया। अतः राजीनामा हरबख्वाहिश पक्षकार तस्दीक किया जाता है। राजीनामा शामिल मिसल रहे।

(ह0 सदस्य) (ह0 सदस्य) (ह0 सदस्य) (सतीश कुमार शर्मा) (ह0 सदस्य) (ह0 सदस्य)

(मुनिदेव यादव)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी
कैम्प नौगांव